कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4417(67)/2016/ दिनांक :– 12 JUL 2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वय से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष सहायक कर्मचारी एवं लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषय मे राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा –निर्देश क्रमांकः प.17(2) शिक्षा–2/2003 दिनांक 08.05.2016 (प्रति संलग्न है) के क्रम संख्या–13 में निर्देश है कि " शाला दर्पण की 3 बी में दर्ज लिपिक ग्रेड–द्वितीय एवं सहायक कर्मचारी /समकक्ष का समायोजन जिले के मावि/उमावि में विकल्प प्राप्त कर किया जावेगा ।"

इस सम्बन्ध मे समस्त प्रक्रियायें उक्त निर्देश दिनांक 08.05.16 के क्रम संख्या 08, 09, 10, 11, 12,14 के अनुसार सुनिश्चित करते हुये काउंसलिंग निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जावे साथ ही राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.05.16 (प्रति संलग्न) के निर्देशों का भी भली भांति अवलोकन कर पालना की जावे।

परामर्श कार्यक्रम

विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों को अपलोड करना	15-07-2016
पदस्थापन की वरियता सूची तैयार करने हेतु विशेष श्रेणी वर्ग की सूचना प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	18-07-2016
वरियता सूची अपलोड करना	20-07-2016
पदस्थापन हेतु परामर्श शिविर का आयोजन	22-07-2016

विद्यालयो में उपलब्ध रिक्त पदों की वरियता सूची का निर्माण निम्नानुसार कर अपलोड किया जावेः–

1–रिक्त पदों की ब्लॉकवार वरियता सूची तैयार की जावे जिसमें सम्बन्धित ब्लॉक से अधिशेष होने वाले कार्मिको की संख्या से डेढ गुणा रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जावें ।

2–जिले के जिन ब्लॉक्स में कार्मिक अधिशेष हो रहे हैं, उन्हीं ब्लॉक्स की रिक्तियों का प्रकाशन किया जाये, अन्य ब्लॉक्स की रिक्तियों का नहीं । उदाहरणार्थ– किसी जिले में पांच ब्लॉक है और कार्मिक सिर्फ तीन ब्लॉक के ही अधिशेष हो रहे हैं तो सम्बन्धित तीन ब्लॉक की ही रिक्तियों की वरियता सूची ही बनाई जावें।

3–वरियता सूची में सम्बन्धित ब्लॉक की सर्वप्रथम उच्च माध्यमिक विद्यालयों को लिया जावे तथा उसकी वरियता छात्र संख्या के आधार पर तय की जावे यदि अधिशेष कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धित ब्लॉक के वरियता वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही समायोजित नहीं हो सकते तो माध्यमिक विद्यालयों की वरियता छात्र संख्या के आधार पर तय की जावें ।

4–अधिशेष कार्मिक वरियता में प्रकाशित जिले के किसी भी ब्लॉक में अपने पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा ।

काउंसलिंग समाप्ति के साथ ही उसी दिवस पदस्थापन आदेश जारी किये जावें । काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों का पदस्थापन भी प्रकाशित सूची में आवंटन से शेष रही रिक्तियों से काउंसलिंग समाप्ति दिनांक 18.06.2016 को की जावें ।

यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । समायोजन/ काउंसलिंग के द्वारा किसी भी व्यक्ति /कार्मिक के द्वारा बाधा पहुचाई जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव, शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
2–शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
3–शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
4–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5–स्टाफ ऑफिसर, निजी निदेशक (माध्यमिक)
6–समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेशों की अक्षरशः पालना करवाये जाने हेतु
7–समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा ।
8–सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को राजकीय वेब साईट http://shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर